# हिंसा संरक्षण अधिनियम के अनुसार तत्काल आवेदनों के लिए मार्गदर्शन

HINDI

- जिला न्यायालय फ्रैंकफर्ट आम माईन
- जिला न्यायालय फ्रैंकफर्ट-ह्योक्स्ट

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा (AK InGe) की घटना में कार्य समूह हस्तक्षेप द्वारा प्रकाशित
फ्रैंकफर्ट आम माईन

# कायदा

## हिंसा संरक्षण अधिनियम वर्तमान या

**पिछले पति या पत्नी और साथीदार, परिचित और अजनबी लोग इनके द्वारा शारीरिक हिंसा, धमकी और उत्पीड़न (पीछा करना) इससे बचाने के लिए संविदात्मक विकल्प प्रदान करता है।**



# आवेदन

## आप कौन से आवेदन कर सकते हैं?

### संपर्क और निकटता पर प्रतिबंध

आप यह आवेदन कर सकते हैं कि अत्याचारी व्यक्ति को आपके निकट आने से, जहाँ आप नियमित रूप से होते हैं उन स्थानों पर जाने से या आपसे संपर्क करने से प्रतिबंधित किया जाए। यह दूरभाष, SMS, फैक्स और डिजिटल मीडिया के लिए भी लागू होता है।

### घर सौंपना

आप यह आवेदन कर सकते हैं कि घर में आप अकेले रह सकते हैं। अपने घर से संपर्क और निकटता के प्रतिबंध के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। यदि अत्याचारी व्यक्ति भी किराये के समझौते में शामिल हो, तो आप शुरूआत में अधिकतम 6 महीनों के लिए घर का उपयोग अकेले कर सकते हैं। इससे, शांति से और सुरक्षित रूप से आगे की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए आपके पास समय होगा।

# लागत

## न्यायालय की प्रक्रियाओं के लिए लागत होती है।

- संभवतः
  बेलीफ के लिए भी
- संभवतःआपके वकील के लिए
- संभवतः
  अत्याचारी व्यक्ति के वकील के लिए

## सूचना

आपके पास पर्याप्त पैसे ना हो तो **कानूनी सहायता** प्राप्त करने का एक विकल्प है।

**कानूनी सहायता आवेदन** के लिए आपको इन चीजों की आवश्यकता है:

- आपकी आय के प्रमाण:
  आमदनी का प्रमाण पत्र, ALG II आदि।
- आपके खर्च के प्रमाण:
  किराया, बीमा लागत, संभवतःकर्ज,
  निर्वाह-व्यय आदि।

यदि आपकी अपनी कोई आय नहीं है तो आपको इसके बारे में एक शपथ-पत्र देना होगा।



# स्थानिक न्यायालय

## आप अपने आवेदन कहाँ दे सकते हैं? कौन सा न्यायालय सक्षम है?

**निवास-पिन कोड 60 के लिए ...**

**जिला न्यायालय
फ्रैंकफर्ट आम माईन
परिवार न्यायालय**

**गेरिश्टस् स्ट्रासं 2
न्यायालय भवन B
60313 फ्रैंकफर्ट आम माईन
दूरभाष 069 / 13 67-01
सोमवार से गुरुवार सुबह 8 से शाम 4 बजे तक
शुक्रवार सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक**

**निवास-पिन कोड 65 के लिए ...**

**जिला न्यायालय
फ्रैंकफर्ट-ह्योक्स्ट
परिवार न्यायालय**

**त्सुक्श्वेर्ड्ट स्ट्रासं 56
65925 फ्रैंकफर्ट आम माईन
दूरभाष 069 / 13 67-01
सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक**

# दस्तावेज़

## आप अपने आवेदन कैसे जमा करेंगे?

आप हिंसा संरक्षण अधिनियम के अनुसार आवेदन आप स्वयं जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आवेदन जितना संभव हो
उतनी जल्दी जमा करने चाहिए।

कार्यालय में आपके आवेदन एक न्यायिक अधिकारी द्वारा लिए जाएँगे तथा एक पारिवारिक न्यायाधीश को प्रस्तुत किए जाएँगे।

आपको आवेदन करने की तैयारी करनी चाहिए। क्या हुआ है इसका अचूक वर्णन करना महत्वपूर्ण है। ध्यान दें कि आप हर रोज कहाँ होते हैं। इन स्थानों के लिए संपर्क और निकटता पर प्रतिबंध लगाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं।

हिंसा संरक्षण आवेदनों के लिए आपने अपने साथ क्या लाना चाहिए?

- पहचान प्रमाणपत्र
- शिकायत दर्ज की गई है इसका पुलिस प्रमाणपत्र
- घर से निकालने की पुलिस की पुष्टि
- जख्मों का डाक्टरी प्रमाणपत्र
- संभव हो तो, गवाहों के पते और शपथपत्र
- घर सौंपा गया हो तो किराये का समझौता
- अत्याचारी व्यक्ति जहाँ रहता हो वह पता



# अधिकार क्षेत्र

## आवेदन देने के पश्चात क्या होता है?

परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के पास निर्णय करने के लिए तीन विकल्प होते हैं।

1. आपके आवेदन पर परिवार न्यायालय के न्यायाधीश तत्काल निर्णय देते हैं। आपको निर्णय उसी दिन प्राप्त होगा अथवा अगले कुछ दिनों में डाक द्वारा मिलेगा। अत्याचारी व्यक्ति को स्थानिक न्यायालय द्वारा निर्णय के बारे में सूचित किया जाता है।

2. परिवार न्यायालय के न्यायाधीश अत्याचारी व्यक्ति को पहले डाक से लिखित में सुनते हैं और कुछ दिन पश्चात निर्णय करते हैं।

3. परिवार न्यायालय के न्यायाधीश 2-4 सप्ताहों के पश्चात तारीख तय करते हैं। इस के लिए आपको और अत्याचारी व्यक्ति को और संभवतः गवाहों को बुलाया जाएगा। आपको न्यायालय का बुलावा डाक से मिलेगा।

यदि न्यायालय की तारीख अत्याचारी व्यक्ति के साथ होती है, तो एक वकील का साथ में होना उचित होगा।

# नरि्णय

बेलीफ अत्याचारी व्यक्ति को घर से बाहर
निकाल सकता है।

**स्थानकि न्यायालय के गेट पर बेलीफ के वतिरण कार्यालय के बारे में पूछें।** वहाँ आपको आपके नविास स्थान के लिए होने वाले बेलीफ
की संपर्क जानकारी मिलेगी।

## महत्त्वपूर्ण

यदि पुलिस के निष्कासन आदेश की समाप्ति तक न्यायालय का कोई भी नरि्णय नहीं होता, तो अनुरोध पर पुलिस द्वारा यह बढ़ाई जा सकती है।

**यदि अत्याचारी व्यक्ति आदेशों का पालन नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं?** यदि अत्याचारी व्यक्ति संपर्क या पहुँच पर डाले गए प्रतिबंध का पालन नहीं करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। आप दिन या रात के किसी भी समय पुलिस को बुला सकते हैं या अपराधविरोधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप उस न्यायालय को भी सूचित करें जिसने हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आदेश जारी किया था। आप परिवार न्यायालय में जुर्माना या कारावास के लिए आवेदन कर सकते हैं।



# बच्चे

## उनके बच्चों का क्या?

**हिंसा संरक्षण अधिनियम के उपाय अभिरक्षा अथवा संपर्क अधिकारों को विनियमित नहीं करते हैं।**

**परिवार में हिंसा के अनुभव का बच्चों पर बहुत असर होता है। यह तब भी लागू होता है जब स्वयं बच्चों को पीटा नहीं जाता, किंतु वें माता-पिता में से किसी एक के साथ की हिंसा के साक्षी होते हैं। इसलिए, कृपया अपने और अपने बच्चों के लिए प्रथमावस्था में ही सलाह और सहायता लें।**

**आप फ्रैंकफर्ट के 14 बाल मार्गदर्शन केंद्रों में से किसी एक (www.ebffm.de) अथवा सामाजिक परिषदों के बाल और युवा कल्याण सेवा से संपर्क कर सकते हैं।**

**आपको सलाह, सहायता, पते और अधिक जानकारी फ्रैंकफर्ट के किन्डर उंड यूगेंड्शत्स [बाल एवं युवासंरक्षण] के दूरभाष पर भी मिल सकती है सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से रात 11 बजे तक शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टीयों पर सुबह 10 से रात 11 बजे तक।**

**दूरभाष 0800 – 2 01 01 11 (निशुल्क)**

**www.kinderschutz-frankfurt.de**

# सलाह

## आपको सलाह और सहायता कहाँ मिल सकती है?

**सलाह केंद्रों में आपको यह मिल सकता है:**

- **हिंसा संरक्षण आवेदनों पर जानकारी तथा सहायता**
- **आगे के कानूनी सवालों पर जानकारी (अपराध विरोधी शिकायत, संपर्क और अभिरक्षा अधिकार, आदि)**
- **वकीलों के पते।**

**आपके अनुभव का और अच्छी तरह से सामना करने और नए दृष्टीकोण विकसित करने में सलाहकार आपकी सहायता करते हैं। हम आपके साथ विचार करेंगे कि आगे की हिंसा से स्वयं की रक्षा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप के लिए सलाह निःशुल्क है और आपकी इच्छा हो तो गुमनाम होती है। आवश्यक हो तो एक अनुवादक को बुलाया जा सकता है।**



# संपर्क

**महिला आपातकाल के लिए सलाह केंद्र**
कासेलर स्ट्रासं 1a | 60486 फ्रैंकफर्ट आम माईन
दूरभाष 069 / 70 94 94 | info@ frauennotruf-frankfurt.de
www.frauennotruf-frankfurt.de

**सलाह केंद्र महिलाओं को महिलाओं की मदद**
बेर्गर स्ट्रासं 40–42 | 60316 फ्रैंकफर्ट आम माईन
दूरभाष 069 / 48 98 65 51 | info@frauenhaus-ffm.de
www.frauen-helfen-frauen-ffm.de

**फ्राउएनहोफ में फ्रैंकफर्ट संगठन सलाह केंद्र**
श्वानहायमर स्ट्रासं 7 | 60528 फ्रैंकफर्ट आम माईन
दूरभाष 069 / 430 547 66 | beratung@frauenhaus-frankfurt.de
www.frauenhaus-frankfurt.de

**ब्रोकन रेनबो „अत्याचारमुक्त जीवन“**
समलैंगिकों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों* के लिए सलाह केंद्र
कासेलर स्ट्रासं 1a | 60486 फ्रैंकफर्ट आम माईन
दूरभाष 069 / 43 00 52 33 | beratung@broken-rainbow.de
www.gewaltfreileben.org

**पुरुषों और महिलाओं के लिए सदमा और पीड़ित केंद्र**
त्साईल 81 (होल्त्सग्राबेन प्रवेशद्वार) | 60313 फ्रैंकफर्ट आम माईन
दूरभाष 069 / 21 65 58 28
www.trauma-undopferzentrum.de

**क्या आपको न्यायालय में अधिक सहायता की आवश्यकता है?**
**गवाह एवं बाल सहायता केंद्र** आपकी निःशुल्क सहायता करता है अथवा आपका साथ देता है। कृपया भेंट की तारीख निर्धारित करें।

न्यायालय भवन E (जिला न्यायालय) 1.OG (पहला तल)
दूरभाष 069 / 1367 26 36
www.landgericht.frankfurt-main.de

# आदेश का पता

Stadt Frankfurt am Main Frauenreferat
Hasengasse 4 | 60311 Frankfurt am Main
*Telefon* 069 / 212 353 19
info.frauenreferat@stadt-frankfurt.de
www.frauenreferat.frankfurt.de

FRAUEN
REFERAT

शहर के महलिा वभािग
के स्नेहशील सहयोग से
फ्रैंकफर्ट आम माईन